

## खबर संक्षेप

## हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान

मण्डला। प्रशासक वन स्टॉप सेंटर मंडला से प्राप्त जानकारी के अनुसार शा.जग.मु.चौ. स्नातक महिला महाविद्यालय मण्डला (म.प्र.) में हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन के तत्वाधान में सोशल मीडिया अभियान का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों, हेल्पलाइन और शी बॉक्स पोर्टल के बारे में प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही जागरूकता फैलाने के लिये हैशटैग के साथ सोशल मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। जिसमें (सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक) बॉक्स अर्थात यौन उत्पीड़न से बचाव हेतु इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के बारे में जानकारी साझा की गई। चूंकि यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रयास है। जिसके तहत प्रत्येक महिला को चाहे वह संगठित हो या असंगठित निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हों, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण की सुविधा के लिये एकल खिड़की प्रदान की जाती है। चाहे वह किसी भी कार्यस्थल में कार्यरत हो इसके लिये प्रत्येक कार्यस्थल में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है, आप चाहे तो वन स्टॉप सेंटर में स्वयं आ सकते हैं या मो.नं. 07642-252699 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य हेल्पलाइन नंबर 181, 1090, 1098, 112 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। चूंकि यह आज से ऑनलाइन शी बॉक्स चालू हो रहा है इसीलिये इसकी जानकारी प्रत्येक महिला तक पहुँचे इसीलिये इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके लिये सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया था जिसमें कॉलेज की लड़कियों ने खुशी-खुशी सेल्फी भी खिंचवाई। सभी को बताया गया की नंबरों का उपयोग किस प्रकार किया जाये ? साथ ही बताया गया कि जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता ली जा सकती है। साथ ही पॉक्सो, चरैलू हिंसा अधिनियम और बाल विवाह निषेध जैसे प्रमुख कानूनों के प्रचार हेतु ट्विटर, इन्फोग्राफिक्स और ऑडियो/विजुअल का उपयोग बताया गया। शॉर्ट फिल्मों को दिखाये जाने के संबंध जानकारी दी गई। उक्त कार्यशाला में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.एन खरे, सहायक प्रोफेसर डॉ. अंजू सिंग, डॉ. कोमल चंद्राल, समस्त छात्राएँ एवं वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक मधुलिका उपाध्याय, केसवर्कर आशा नंदा, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता हरिशंकर कछवाहा और आरती वरकड़े उपस्थित रहे।

## यात्रियों को पेश आ रही परेशानी, नगर का नाम होता खराब

## बस स्टैंड में गंदगी का आलम



## \* स्वच्छता की इस तरह हो रही अनदेखी।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

नगर के बस स्टैंड पर गंदगी का आलम यह है कि यहाँ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही नदारद है। बसों की सफाई और धुलाई तो की जाती है, लेकिन उनके अंदर का कचरा बस स्टैंड पर ही फेंक दिया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी फैल जाती है। इसके अलावा, रात के समय कुछ लोग शौचक्रिया के लिए बस स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य बना रहता है। यात्रियों को इस गंदगी के बीच से बसों से उतरने में परेशानी होती है, और अगर वे अपना सामान नीचे रखते हैं तो वह भी गंदा हो जाता है। यह स्थिति न केवल यात्रियों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकती है। आज जबकि स्वच्छता का संदेश नगरपालिका द्वारा सुबह शाम पूरे नगरवासियों को दिया जा रहा है ऐसे में इस तरह की अनदेखी नगरपालिका प्रशासन की ही अस्मिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

स्थानीय प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें और बस स्टैंड की सफाई व्यवस्था को सुधरें। इसके अलावा, शौचालयों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि यात्रियों को गंदगी के बीच न उतरना पड़े। यदि इस दिशा में जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया, तो यह समस्या और बढ़ सकती है, जिससे यात्रियों को और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

इन्का कहना है:-

आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया, सीएमओ से चर्चा कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। और समस्या स्थाई समाधान हेतु आगामी बैठक में यह बात रखी जायेगी।

-अखिलेश कछवाहा, उपाध्यक्ष नगरपालिका मण्डला



## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला में मनाया गया संविधान दिवस

मण्डला। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1949 को इसी दिन हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया था। इसी तारतम्य में विगत दिवस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला में न्यायाधीश प्रवीण सिन्हा के मुख्य आतिथ्य में संविधान दिवस मनाया गया जिसमें भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून वयो आवश्यक है विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मण्डला के 12 वीं के छात्र यशमीत प्रकाश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संविधान दिवस पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए न्यायाधीश प्रवीण सिन्हा ने कहा कि संविधान अनुसार-व्यक्ति द्वारा प्राप्त दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन न करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों एवं श्रोताओं ने सभी छात्र-छात्राओं एवं यशमीत प्रकाश के लिए उज्वल भविष्य की कामना की।



## थाना खटिया क्षेत्र में रात्रि के समय गर्भवती महिला का हुआ स्वास्थ्य खराब

मण्डला। मण्डला के थाना खटिया क्षेत्र के कामता माल गाँव में कॉलर की बहन का स्वास्थ्य खराब हो गया है, कॉलर की बहन गर्भवती है, पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना राज्य स्त्रीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-100 भोपाल में दिनांक 27-11-2024 को रात्रि 08:50 बजे प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त पर तत्काल खटिया थाना क्षेत्र में तैनात डायल-100 वाहन को मदद के लिए रवाना किया गया। डायल-112/100 स्टाफ आरक्षक सचिन मर्सकोले पायलेट रवि शंकर बोरिकर ने मौके पर पहुँचकर बताया कि 22 वर्षीय गर्भवती महिला का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था। अस्पताल पहुँचने का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होने पर महिला के भाई ने डायल-100 नंबर पर कॉल कर मदद माँगी थी। डायल-112/100 जवानों ने महिला को परिजन के साथ एफ आर व्ही वाहन से शासकीय अस्पताल बम्हनी पहुँचाया। डायल-112/100 जवानों की तत्परता से महिला को समय पर उपचार मिला।



## कार्यवाही

शराब सहित लगभग 22.50 लाख का मसरूका जब्त।

## 110 पेटी अंग्रेजी शराब थाना बीजाडांडी पुलिस ने किया जब्त

## \* शराब के अवैध परिवहन पर कार्यवाही।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

मण्डला पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्रय व अवैध रूप से परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना बीजाडांडी पुलिस द्वारा गत रात्री दिनांक 28/11/2024 को मुखबिर की प्राप्त सूचना पर शराब के अवैध परिवहन के विरुद्ध जबलपुर रायपुर हाइवे पर थाना बीजाडांडी पुलिस टीम द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपी इलेश चौहान पिता दिलीप चौहान उम्र 19 वर्ष निवासी फुलवाडी थाना कोतवाली जिला मण्डला व एक नाबालिग के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन जिसमें पीले रंग की तिरपाल बंधी व अवैध अंग्रेजी शराब जिनियस व्हीस्की की 24 पेटी प्रत्येक पेटी में 50 क्वाटर प्रत्येक में 180 एम.एल. शराब कुल मात्रा 216 लीटर कीमती करीबन 1,60,000 रूपये,



एम.डी. रम के 26 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 क्वाटर प्रत्येक क्वाटर में 180 एम.एल. शराब कुल 234 लीटर कुल कीमती करीबन 1,80,000 रूपये, हंटर विवर की 03 पेटी प्रत्येक पेटी में 12 बाटल प्रत्येक 650 ग्राम कुल 24 लीटर कुल कीमती 8000 रूपये, जिनियस रम के 02 पेटी प्रत्येक पेटी में 50 क्वाटर प्रत्येक क्वाटर में 180 एम.एल. कुल 18 लीटर शराब कुल कीमती 13,000 रूपये, ओल्ड मॉक

अंग्रेजी शराब की 03 पेटी प्रत्येक पेटी में 50 क्वाटर प्रत्येक क्वाटर में 180 एम.एल. कुल शराब 27 लीटर कुल कीमती 21,000 रूपये, एम.डी. व्हीस्की की 03 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 क्वाटर प्रत्येक क्वाटर 180 एम.एल. कुल शराब 27 लीटर कुल कीमती 31,000 रूपये, गोवा व्हीस्की शराब की 46 पेटी प्रत्येक पेटी में 50 क्वाटर प्रत्येक में 180 एम.एल. कुल कीमती 3,00,000 रूपये, प्लेन शराब के 03

पेटी प्रत्येक पेटी में 48 क्वाटर प्रत्येक में 180 एम.एल. कुल 27 लीटर कुल कीमती 15,000 रूपये, अंग्रेजी शराब की कुल 110 पेटी कीमती 7,28,000 रूपये, कुल वाहन सहित जुमला कीमती 22,28,000 रूपये की मशरूका जप्त किया गया। पुलिस टीम को वाहन रोकता देखकर एक अन्य आरोपी संजय दोहरे उर्फ रेड मौके से फरार हो गया। उक्त तीनों के विरुद्ध थाना बीजाडांडी में धारा

34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस निवास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बीजाडांडी निरीक्षक अंतिम पंवार के नेतृत्व में उनकी टीम जिसमें उप निरीक्षक पंकज विश्वकर्मा, सउनि. हरिओम शुक्ला, प्र.आर. चैनसिंह, प्र.आर. रविन्द्र मरावी, आर. रोहित सिंगरी, आर.नीरज बाकले, आर. जयसिंह मरावी, आर. हेमराज, आर.आलोक मरावी एफ.आर.व्ही. वाहन चालक विरेन्द्र उडके, उत्तम साहू की विशेष भूमिका रही।



## प्रदूषण एक्ट के तहत नरवाई जलाने पर लगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

किसान की ना समझी के कारण वह आए दिन खेतों को साफ करने के लिए एवं खेतों को खाद देने के उद्देश्य से धान काटने के उपरांत खेतों में आग लगा रहा है जबकि उसको मालूम नहीं है कि वह अपने खेत को सम्मूल्य नष्ट कर रहा है मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार शासन ने खेतों को नरवाई जलाने को पूर्ण प्रतिबंध प्रदूषण एक्ट के तहत किया है लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी न होने के कारण किसान आज के खेतों में आग लगा रहे हैं खेतों को जलाने में प्रकृति का सबसे समूह नष्ट होता है जमीन की मिट्टी में रहने वाले केंचुए तथा अन्य कीट पतंग आग की जलन से नष्ट हो जाते हैं इसके साथ ही खेतों के किनारे रहने वाले पेड़ पौधों पर पक्षियों के बच्चे एवं घोंसला तथा कीट पतंग तितली के अंडे जैसे अनेक जीवों का अंत हो जाता है जिससे कि जैव विविधता नष्ट होती है इससे हमारे फसलों पर पैदावार



कमजोर होगी और साथ ही खेतों की मिट्टी में क्षारीय गुण पैदा होने से फसल की उपज क्षमता कम होती चली जाएगी अतः आम किसान से अपील है कि वह अपने खेतों पर आग लगाने की कार्यवाही बिल्कुल ना करें आर के क्षेत्रीय पर्यावरण सदस्य एवं जैव विविधता सदस्य ने अपील की है कि प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है कि हम सभी जीवों को बचाने में अपना योगदान दें इसके साथ ही उन्होंने पंचायत के

सभी सरपंचों तथा राजस्व के सभी पटवारी तथा कर्मचारी व कृषि विभाग के कर्मचारी से से योग से अनुरोध किया है कि कोटवार के माध्यम से गांव-गांव में मुनादी कर आम जनता को जानकारी प्रदान करें ताकि आम जनता सजक हो सके व जानकारी हो सके विद्यालय के माध्यम से भी विद्यार्थियों को जानकारी देकर बच्चों में जागरूकता लाई जावेगी ताकि नरवाई को जलाने से रोका जा सकता है।





